

**कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड, देहरादून**  
 वनादेश सं० 10 / 1-13(13) (HRD) देहरादून दिनांक, 16 अगस्त, 2021

**पदोन्नति/तैनाती आदेश**

इस कार्यालय के पत्रांक 188(H.R.D.)/1-12(एच0आर0डी0) दिनांक 28-07-2021 द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया। पदोन्नति समिति की दिनांक 09-08-2021 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान रू० 47600-151100 लेवल-8 को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान रू० 56100-177500 लेवल-10 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर उनकी तैनाती उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित कार्यालय में जनहित में की जाती है :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं	पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का कार्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री वीरेन्द्र प्रसाद पोखरियाल	प्र०व० अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर	प्र०व० अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर	01 वर्ष के अन्तर्गत सेवा निवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुये।

- पदोन्नत अधिकारी द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
- संबंधित अधिकारी पदोन्नति आदेश जारी होने की तिथि के दो सप्ताह के अन्तर्गत अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो संबंधित अधिकारी का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति कर दी जायेगी।
- यदि अधिकारी द्वारा पदोन्नति स्वीकार नहीं की जा रही हो तो अधिकारी से लिखित रूप में इस आशय का पत्र प्राप्त कर तत्काल इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित करें।
- अधिकारी की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को अधिकारी के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।

(राजीव भरतरी)  
 प्रमुख वन संरक्षक, HoFF  
 उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र सं० 310 (1)/1-13(13) (HRD) तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड देहरादून।
- मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं, नैनीताल।
- वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊं वृत्त, नैनीताल।
- प्र०व०, अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर।
- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- संबंधित अधिकारी द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- मु०व०सं०, निगरानी, मूल्यांकन, आई०टी० एवं आधुनिकीकरण देहरादून को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
- अधिष्ठान/गार्ड बुक।

I.T.G.C  
 डी. 84 कोस  
 पत्र सं० 310  
 cef  
 2/16/21

(राजीव भरतरी)  
 प्रमुख वन संरक्षक, HoFF  
 उत्तराखण्ड, देहरादून।